

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या:एम0ई0-3/2024/

लखनऊ:दिनांक 03/07/2024

महत्वपूर्ण सूचना

शैक्षणिक सत्र 2023-24 की काउंसिलिंग हेतु जारी नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या:1/392859/2023, फाईल नं0-71-4099/1229/2019-4-, दिनांक 21.09.2023 के बिन्दु-2 के उपबिन्दु-6 में निम्न व्यवस्था की गयी है :-

“यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट पी0जी0 काउंसिलिंग 2024-25 के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।”

यू0पी0 नीट पी0जी0-2023-24 की काउंसिलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा स्ट्रे वैकेंसी राउण्ड से एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की सीट पर आवंटन प्राप्त किये जाने के उपरान्त प्रवेश नहीं लिया गया था :-

S. No	NAME	Father Name	NEET-2023 ROLLNO	NEET-2023 Rank	Allotted Institute	Allotted Coures	Allotment Date
1	HARSHITA SINGH	TRIPURARI VASKAR	2355123687	16025	RAMA DENTAL COLLEGE, KANPUR	MDS (ORTHODONTICS & DENTOFACIAL ORTHOPAEDICS)	10/17/2023
2	SOURAV PAUL	GOPAL KRISHNA PAUL	2355106274	18717	RAMA DENTAL COLLEGE, KANPUR	MDS (CONSERVATIVE AND ENDODONTICS)	10/17/2023

अतएव उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों के क्रम में उपरोक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थियों को यू0पी0 नीट पी0जी0-2024-25 की काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

संख्या:एम0ई0-3/2024/1296

तददिनांक।

कृते महानिदेशक।

प्रतिलिपि निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त महत्वपूर्ण सूचना नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट upneet.gov.in पर प्रदर्शित करने के साथ आवश्यक कार्यवाही करने कष्ट करें।


कृते महानिदेशक।